

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला — गुमला

केस का प्रकार — नीलाम पत्र

वाद सं०— 65 / 2020—21

आदेश की
क्रम संख्या
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई की
दिप्पणी एवं
तारीख

बैंक ऑफ इण्डिया, जारी

बनाम

अमित बखला..... विपक्षी

अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम—पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें अमित बखला, पिता— सेठ बखला, ग्राम— चैनपुर, पोस्ट— चैनपुर, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि— 70,704.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है।

उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक— 7098(ii) / गो० दिनांक— 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 250000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०— 65 / 2020—21 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है।

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
—सह—
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
—सह—
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।